निर्णय बइजलास श्री शक्ति सिंह भाटी सहायक कलक्टर (R.A.S.) एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला–राजसमन्द

प्रकरण सं. 07/2019 प्रा0पत्र **निर्णय दिनांक 11.11.2019**

अनवान

01. श्रीमति नन्दु बेवा वरदा जी गुर्जर निवासी पानडी तहसील देवगढ़

————प्रार्थी

बनाम

01. श्री प्रभु पिता गोपा जी जाति गुर्जर उम्र 40 वर्ष निवासी पानडी तहसील देवगढ
02. श्री त्रिलोक पिता मांगी लाल जी गुर्जर आयु 35 वर्ष निवासी पानडी तहसील देवगढ

———विपक्षीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा0ले0रे0 एक्ट

उपस्थित :– श्री नरेश कुमार प्रार्थी

:: निर्णय ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे की जमीन मौजा पानडी पटवार हल्का नराणा में स्थित है। जिसके खाता सं0 122, आराजी नं0 58 रकबा 0.02, आ0नं0 61 रकबा 1.04 आ0नं0 63 रकबा 1.02, आ0नं0 83 रकबा 1.06, आ0नं0 84 रकबा 1.10, आ0नं0 111 रकबा 0.06, आ0नं0 300 रकबा 2.12 कुल किता 7 कुल रकबा 8.02 बीघा है। उक्त वर्णित कुलिया अराजियात की भूमि पर प्रार्थी निर्बाध रूप से कास्त वगैरह करता आ रहा है, किन्तु उक्त भूति के चारो तरफ पत्थर की पक्की बाउण्ड्री, सीमा चिन्ह नही होने से विपक्षीगण जो प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि के सीमा से मिलते हुऐ पडौसी है जो हर समय फसल बुवाई, कटाई के समय सीमा सम्बन्धि विवाद करते रहते है जिससे प्रार्थी को अनावश्यक मुकदमें बाजी के लिये विवश होना पडता है। मौके पर अशान्ति रहती है, जिससे प्रार्थी शान्तिपूर्वक कास्त भूमि का उपयोग उपभोग नही कर पा रहा है। उक्त वर्णित भूमि की बाद नपती पत्थरगढी हो जाती है तो मौके पर जो सीमा सम्बन्धि विवाद है वो हमेशा के लिये समाप्त हो जायेगा। प्रार्थी शान्ति पूर्वक कास्त वगैरह कर सकेगा।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को मय नकल वादपत्र के सम्मन जारी किये गये। प्रत्युत्तर में विपक्षी सं0 01 व 02 सम्मन तामिल हो जाने पर भी

अनुपस्थित रहे जिस पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है। प्रकरण में वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई

वकील प्रार्थी ने बहस में तर्क दिया कि प्रार्थी की भूमि के चारो तरफ पक्की पत्थर की दिवार अथवा सीमा चिन्ह नही होने से विपक्षी आये दिन फसल बुवाई व, कटाई के समय प्रार्थी से सीमा सम्बन्धि विवाद करते रहते है। जिससे प्रार्थी को अनावश्यक मुकदमें बाजी करनी पडती हैं। मौके पर अशान्ति रहती है। इस समस्या का समाधान भूमि की बाद नपती पत्थरगढी हैं अतः प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि के पत्थरगढी करवाने के आदेश प्रदान करावें।

हमनें प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। ग्राम पानडी की जमाबन्दी सं0 2068 से 2071 में प्रार्थी खातेदार है तथा खातेदार उसके खाते की जमीन की पत्थरगढी करा सकता हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पानडी पटवार हल्का नराणा तहसील देवगढ़ की भूमि खाता सं0 122, आराजी नं0 58 रकबा 0.02, आ0नं0 61 रकबा 1.04 आ0नं0 63 रकबा 1.02, आ0नं0 83 रकबा 1.06, आ0नं0 84 रकबा 1.10, आ0नं0 111 रकबा 0.06, आ0नं0 300 रकबा 2.12 कुल किता 7 कुल रकबा 8.02 बीघा भूमि की पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें कि प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा करवाकर उभयपक्ष को सूचित करा मौके पर पत्थरगढी कर रिपोर्ट न्यायालय पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द
देवगढ़